



MALWANCHAL UNIVERSITY, INDORE (MP)

[A-State Private University Established by the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya Adhiniyam No.17 of 2007 and Approved by UGC Under Section 2(f)]
Registration No.:MPPU20; NAAC Accredited

Ref.No: MU/RO/MPPURC/2025/240Date: 25.09.2025

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,
मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग भोपाल,
वाल्मी रोड, कालियासोत डैम,
भोपाल, म.प्र.- 462016

विषय:-मालवांचलविश्वविद्यालय की संघटक इकाई इंडेक्सआयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, इंदौर के BAMSपाठ्यक्रम की 100 सीटों को NCISMकी आगामी काउंसिलिंगप्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने हेतु अस्थायी शुल्क निर्धारण करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- NCISM का पत्र क्र 3-5/MARB/2025-Ay.(63) दिनांक 04.09.2025 |

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मालवांचल विश्वविद्यालय, इंदौर की संस्था इंडेक्स आयुर्वेदिककॉलेज, हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटरके अंतर्गत संचालित नवीन पाठ्यक्रम B.A.M.S.को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (NCISM) से पत्र क्रमांक NCISM का पत्र क्र 3-5/MARB/2025-Ay.(63) दिनांक 04.09.2025के माध्यम से हाल ही में सत्र 2025-26 से 100 सीटों सहित बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्राप्त हुई है।

उपरोक्त कथन के अवलोकन में तथा यह सुनिश्चित करने हेतु कि पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश से वंचित न होना पड़े हम आयोग से विनम्र अनुरोध करते हैं कि हमारे द्वारा प्रस्तुत शुल्क समीक्षा संबंधी प्रस्ताव को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (NCISM) को अग्रेषित किया जाए। जिससे कि हमारे संस्थान को आगामी बी.ए.एम.एस. (B.A.M.S.)काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सके। जैसा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (NCISM) का पत्र क्र 3-5/MARB/2025-Ay.(63) दिनांक 04.09.2025के माध्यम से भी निर्देशित किया गया है।

इस प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु तथा नियामकीय प्रावधानों अनुसार बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम के लिए वार्षिक शुल्क संस्था द्वारा प्रावधिक रूप में रूपये 3.25 लाख निर्धारित किया गया है। यह अनुमानित शुल्क पिछले सत्र में समान प्रकृति एवं समकक्ष सुविधाओं वाले संस्थान के शुल्क निर्धारण के आधार पर किया गया है।

हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा की वास्तविक लागत के आधार पर नियमानुसार अंतिम रूप में निर्धारित किये गये शुल्क को मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा की गई शुल्क समीक्षा उपरांत अनुमोदित शुल्कविद्यार्थियों से प्राप्त किया जायेगा।

विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रावधिक शुल्क संरचना के अंतर्गत प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों में शुल्क के अंतिम निर्धारण की प्रक्रिया को पूर्ण रूप सेस्वीकार्य करने के संबंध में शपथ पत्र/अंडरटेकिंग प्राप्त किया जायेगा।

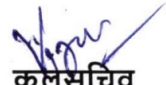
अतः हम विनम्रता पूर्वक अवगत कराना चाहते हैं कि म.प्र. आयुष विभाग द्वारा आयोजित बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रमकी काउंसिलिंग का प्रथम चरण पूर्ण हो चुका है तथा द्वितीय चरण 26 सितम्बर,2025 में प्रारंभ है।

अतः हम अत्यंत विनम्रता के साथ म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोगसे निवेदन करते हैं कि हमारे संस्थान का शैक्षणिक सत्र 2025-26 की बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम काउंसिलिंग की द्वितीय काउंसिलिंग

करने हेतु प्रावधिक शुल्क नियतन की जानकारी शीघ्रातिशीघ्र भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (NCISM) तथा संचालनालय आयुष, म.प्र. को अग्रेषित करने की कृपा करें। जिससे विद्यार्थियों के हितों की रक्षा हो सके एवं प्रवेश प्रक्रिया निर्बाध रूप से संचालित हो सके।

कृपया आवश्यकतानुसार किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज अथवा स्पष्टीकरण के लिए हम उपलब्ध हैं।

सादर अनुरोध,


कुलसचिव
मालवांचल विश्वविद्यालय,
इन्दौर (म.प्र.)
Registrar
Malwanchal University
Indore (M.P.)

प्रतिलिपि:

- भारतीय चिकित्सापद्धतिराष्ट्रीय आयोग (NCISM), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
- कार्यालय, आयुक्त, आयुष संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल, म.प्र.